

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- मनमोहन मीणा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 14/2021 राजस्व वाद

1. श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री नवरत्नमल महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्रीमती सोसर देवी पत्नी श्री हरिशंकर ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी-करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

— वादीगण

बनाम

01. कैलाश चन्द्र पुत्र श्री तुलसीराम रेगर आयु वयस्क निवासी-करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
02. श्रीमती गटु देवी पत्नी स्व० श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
03. पंकज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
04. प्रदीप कुमार पुत्र श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
05. राकेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
06. शान्ति लाल पुत्र श्री हगामी लाल महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
07. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन,
2. एकपक्षीय-
2. परोकार सरकार

-अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादीगण

-अधिवक्ता-प्रतिवादी

दिनांक- 19.02.2024

:: निर्णय ::

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज० टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के नाम शामिल की जा रही है। हक से दर्ज रेकार्ड है। शामिल होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत को


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

हंकाई, चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 06 उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1585 में आराजी नम्बर 2345 तैबीस सौ पैतालीस रकबा रकबा 0.4047 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2346 तैबीस सौ छियालीस रकबा 0.3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2347 रकबा 0.5691 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2348 कबा 0.3541 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2351 रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2352 तैबीस सौ बावन रकबा 0.3541 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 2.7948 हैक्टयर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(1) खातेदार का नाम- प्रेमलता पत्नी नवरतनमल जाति महाजन सा. देह के नाम पर-

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
1	2346/2	0.2453 हैक्टयर
2.	2347/2	0.4103 हैक्टयर
3.	2348/2	0.1646 हैक्टयर
4.	2351/2	0.0182 हैक्टयर
योग	कुल किता 04	0.8384 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम- सोसर देवी पत्नी हरिशंकर जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
1	2345/2	0.2649 हैक्टयर
2.	2346/3	0.1203 हैक्टयर
3.	2347/3	0.1420 हैक्टयर
4.	2348/3	0.1715 हैक्टयर
योग	कुल किता 04	0.6987 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम- कैलाश पुत्र श्री तुलसीराम रेगर सा. देह के नाम पर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा


क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टयर में)
1	2345/1	0.1398 हेक्टयर
योग	कुल किता 01	0.1398 हेक्टयर

(4) खातेदार का नाम— पंकज कुमार पुत्र रोशन लाल 1/8 , प्रदीप कुमार पुत्र रोशन लाल 1/8 राकेश कुमार पुत्र रोशन लाल 1/8, गट्टू देवी पत्नी रोशन लाल 1/8 शांति लाल पुत्र रोशन लाल 1/2 जाति महाजन सा. देह खातेदार के नाम पर—

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टयर में)
1	2346/1	0.0264 हेक्टयर
2.	2347/1	0.0168 हेक्टयर
3.	2348/1	0.0180 हेक्टयर
4.	2351/1	0.7026 हेक्टयर
5.	2352	0.3541 हेक्टयर
योग	कुल किता 05	1.1179 हेक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेडा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)